



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-176/ 1913

रायपुर, दिनांक 16/08/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- Diversion of 9.589 ha of forest land in favour of CSPTCL for construction of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS Kondatari to M/s NTPC Ltd. Jurda in Raigarh district in the state of Chhattisgarh- regarding.

— पंजीयन क्रमांक— FP/CG/TRANS/ 39462/2019

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक FC-II/IROCH-07/2021/22 दिनांक 15.06.2021
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/तक./2143 दिनांक 31.07.2021

—0—

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने संदर्भित पत्र - 1 के माध्यम से द्वारा 11 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

उक्त वांछित जानकारी का पालन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	पालन
I	Consolidated single KML file of entire alignment dully highlighting the forest land proposed for diversion needs to be submitted.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को के.एम.एल. फाईल में हाइलाइट कर परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है।
II	Date of submission has not mentioned in Part-I and Part-III and Name of signing authority has not mentioned in Part-I of From-A	पार्ट-1 एवं पार्ट-3 में Date of submission तथा फार्म-ए पार्ट-1 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित कर संलग्न है। संलग्नक-1
III	The DCF, Raigarh has mentioned in his Part-II that the proposed area is vulnerable to soil erosion, accordingly, detail note on vulnerability of area due to instant proposal along with site specific soil conservation plan, if needed, may be submitted.	मुख्य वन संरक्षक के प्रतिवेदन अनुसार ट्रांसमिशन लाईन हेतु टावर के Foundation work को सीमेंट कांक्रीट से भरा जाता है जिससे भू-क्षरण होने की संभावना नगन्य रहती है। अतः वर्तमान में भू-संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं है।
IV	Certificate, from the DFO Raigarh, regarding location of the project outside the PAs has not submittd; same need to be submitted.	पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 182 अनुसार परियोजना परिधि के 10 कि.मी. क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य, अथवा हाथी कॉरीडोर जैसे संरक्षित क्षेत्र से बाहर होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की गयी है

क्र.	वांछित जानकारी	पालन																
		जिसकी छायाप्रति पुनः संलग्न है। संलग्नक-2																
V	Examination of underlying documents submitted along with proposal revealed that area have many endangered and Schedule-I species like, Leopard, Tiger, Indians Gazelle, Four horned antelope, Wolf, Sloth Bear, Striped Hyena, Indian Pangolin, etc. Specific comments of Chief Wildlife Warden on any possible impact of proposal on resident wildlife along with mitigation measures, if any need to be submitted.	मुख्य वन संरक्षक के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में वन्यप्राणीयों का आवागमन होने के कारण वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित किया है।																
VI	CA is proposed over three different patches at three different location, however, a consolidated CA scheme for 19.178 ha. has been submitted, Site specific CA scheme separately for all three patches need to be submitted.	निर्देशानुसार कक्षवार स्थल विशिष्ट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न है। संलग्नक-3																
VII	Examination of land identified for raising CA over google satellite imaginary revealed that one patch of 3.417 ha. over compartment number 1029 OA in Raigarh Forest Division already have revisit the area and new area suitable for plantation need to identified and proposed.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रायगढ़ वन मंडल के कक्ष क्रमांक 1029 नारंगी क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम (बिगड़े वन क्षेत्र) है। मौका निरीक्षण अनुसार बिगड़े वन क्षेत्र होने से क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।																
VIII	Detailed scheme for plantation of dwarf plants preferably medicinal palms under the proposed RoW has not been submitted; same need to submitted.	निर्देशानुसार ट्रांसमिशन लाईन के नीचे औषधीय रोपण की योजना रकबा 3.551 हे. में तैयार कर संलग्न है। संलग्नक-4																
IX	Details of alternative alignments explored along with justification for selecting the prososal alternateive and reasons for discarding other alternatives has not been submitted. The detail comparative statement of various parameters examined before finalization of propose alignment along with KML files of all alignments need to be submitted.	<p>लीनियर प्रस्ताव में 03 विकल्पों का वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है –</p> <table><tr><th>क.</th><th>विकल्प</th><th>लंबाई कि.मी. में</th><th>प्रभावित वन क्षेत्र</th></tr><tr><td>1</td><td>रूट – 1</td><td>27.052</td><td>12.836 हे.</td></tr><tr><td>2</td><td>रूट – 2</td><td>24.51</td><td>9.589 हे.</td></tr><tr><td>3</td><td>रूट – 3</td><td>24.409</td><td>10.20 हे.</td></tr></table> <p>रूट क्रमांक – 2 में प्रभावित वन क्षेत्र न्यूनतम होने के कारण प्रस्तावित है। अन्य विकल्पों में प्रस्तावित विकल्प से अधिक वन क्षेत्र होने के कारण छोड़ा गया है। तीनों विकल्पों को मानचित्र में दर्शित किया गया है जिसका KML files एवं मानचित्र संलग्न है। संलग्नक-5</p>	क.	विकल्प	लंबाई कि.मी. में	प्रभावित वन क्षेत्र	1	रूट – 1	27.052	12.836 हे.	2	रूट – 2	24.51	9.589 हे.	3	रूट – 3	24.409	10.20 हे.
क.	विकल्प	लंबाई कि.मी. में	प्रभावित वन क्षेत्र															
1	रूट – 1	27.052	12.836 हे.															
2	रूट – 2	24.51	9.589 हे.															
3	रूट – 3	24.409	10.20 हे.															
X	Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has not been submitted, Documentary	पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 184 से 187 में कलेक्टर रायगढ़ का वन अधिकार वितरण प्रमाण पत्र, राजस्व																

क्र.	वांछित जानकारी	पालन										
	evidences in the form of copies of the resolutions of the concerned Forest Right Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Divison Level Committee(s) recording their consent for the proposal and bearing signature of the participants have not submitted.	वनभूमि के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है। छायाप्रति पुनः संलग्न है। संलग्नक-6										
XI	Details of employment potetial in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	आवेदक संस्थान द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल श्रमिकों की जानकारी तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कार्य दिवस की जानकारी निम्नानुसार है : <table><tr><th>श्रमिक</th><th>संख्या</th></tr><tr><td>कुशल</td><td>10</td></tr><tr><td>अर्धकुशल</td><td>5</td></tr><tr><td>अकुशल</td><td>5</td></tr><tr><td>अस्थायी मजदूर</td><td>5000 दिवस</td></tr></table> संलग्नक-7	श्रमिक	संख्या	कुशल	10	अर्धकुशल	5	अकुशल	5	अस्थायी मजदूर	5000 दिवस
श्रमिक	संख्या											
कुशल	10											
अर्धकुशल	5											
अकुशल	5											
अस्थायी मजदूर	5000 दिवस											

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वांछित जानकारी का पालन उपरोक्तानुसार अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 2 प्रतियों में
संलग्नक 1 से 7 तक

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/ विद्युत/ 479-176/ 1914

रायपुर, दिनांक 16/08/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को संदर्भ पत्र के अनुक्रम में।
- वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
- कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कंपनी लिमि. बिलासपुर, छ.ग.
(Email: eeeht.bilaspur@cspc.co.in)।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
o/c छत्तीसगढ़